न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 10/2023

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री बलदेव राम पुत्र श्री धनाराम जाति जाट निवासी दईकडा, देकर जोधपुर हाल प्रो. श्री गजानन्द जोधपुर केटर्स, आदर्श नगर लिंक रोड नियर एनएसपी स्कूल, सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 14.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2023 को प्रवर्तन अधिकारी सिरोही, प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं श्री जेठूसिंह पुत्र श्री मुल्तानसिंह गोदाम कीपर मैसर्स सिरोही (एच.पी.) गैस सर्विस, सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से श्री गजानन्द जोधपुर केटर्स, आदर्श नगर लिंक रोड नियर एनएसपी स्कूल, सिरोही की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया एवं एक घरेलू सिलेण्डर अन्दर के कमरे में पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, परन्तु अप्रार्थी बहस हेतु नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही की बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 08.11.2023 को प्रवर्तन अधिकारी सिरोही, प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही एवं श्री जेठूसिंह पुत्र श्री मुल्तानसिंह गोदाम कीपर मैसर्स सिरोही (एच.पी.) गैस सर्विस, सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से श्री गजानन्द जोधपुर केटर्स, आदर्श नगर लिंक रोड नियर एनएसपी स्कूल, सिरोही की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया, जिस पर मिष्ठान इत्यादि पदार्थ बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं एक घरेलू

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

सिलेण्डर अन्दर के कमरे में पाया गया। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए घरेलू सिलेण्डर उक्त गोदाम में काम करने वाले मजदूरों के थे, जिनके द्वारा मजदूर खाना बनाने का कार्य करते है, जिनकी गैस डायरी भी पेश की गई है। गोदाम में भट्टी पर कार्य किए जाने के दौरान व्यावसायिक सिलेण्डर खाली होने से कार्यरत मजदूर द्वारा अपने स्वयं के सिलेण्डर को उक्त कार्य पूरा करने के लिए लगा दिया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। उक्त सिलेण्डरों को जब्त किए जाने से अप्रार्थी के गोदाम में कार्य करने वाले मजदूरों के पास अन्य कोई सिलेण्डर नहीं होने से खाने बनाने में समस्या हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाकर जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा दो 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर मिष्ठान इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था एवं एक घरेलू सिलेण्डर अन्दर के कमरे में पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर मिष्ठान इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग घरेलू प्रयोजनार्थ ही किया जाता है, परन्तु उक्त दिवस को भट्टी पर कार्य किए जाने के दौरान व्यावसायिक सिलेण्डर खाली होने से कार्यरत मजदूर द्वारा अपने स्वयं के सिलेण्डर को उक्त कार्य पूरा करने के लिए लगा दिया था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उसे कब्जे सरकार [illegible] जिसके सम्बन्ध में उक्त गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी प्रस्तुत [illegible] इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया [illegible] कि कब्जे सर[illegible] लिए गए सिलेण्डर जिस भट्टी से जुडा हुआ था, उस भ[illegible] इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्राथी द्वारा [illegible] के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि गोदाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी बाद में प्रस्तुत की है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरी कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही है। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते है परन्तु श्री गजानन्द जोधपुर केटर्स, सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण मिष्ठान बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये दोनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये दोनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए दोनों गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner